पत्र संख्या-स्था-2-विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/I/615809/2026/ राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक :: 29-05-2026

// आदेश //

उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारियों का आधारभूत/व्यावसायिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिनांक 01-06-2026 से 25-06-2026 के मध्य आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवपदोन्नत राज्य कर अधिकारियों को जी0एस0टी0 अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों से संबन्धित प्रशिक्षण, फील्ड में व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान में फील्ड के अनुभव पर आधारित ग्रुप डिस्कशन, कार्यशाला एवं फील्ड की आवश्यकताओं के अनुरुप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निम्न पदोन्नत राज्य कर अधिकारियों को नामित किया जाता है:-:-

Sr. No.	Empid	Name	MOBILE	ZONE/REGION
1	127847	MAHENDRA PRASAD	936749986	HEAD QUARTER
2	127857	JAGDAMBA PRASAD	9450823862	AZAMGARH
2	127856	BRIJENDRA KUMAR SRIVASTAVA	9415611655	PRAYAGRAJ

प्रशिक्षण में नामित अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के नामित अधिकारी की उपस्थिति दिनांक 01-06-2026 से मान्य होगी। **उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 4 विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्तानुसार प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।**

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा ।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगें। **अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-**

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी ।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें ।
- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा ।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाईल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते

हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषेद्ध सामग्री पायी जायगी उन्हे प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यकम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ प्रशिक्षण व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आयें तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्चे हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
Date: 29-05-2026
20:20:21

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 29-05-2026
20:22:48

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त(स्था0राज0)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।